चित्रकूट-पुलिस

(1). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में लोकसभा चुनाव-2024 के दृष्टिगत अवैध शराब निर्माण एवं बिक्री की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में चित्रकूट पुलिस ने 02 अभियुक्तों के कब्जे से 40 लीटर कच्ची शराब बरामद की।

(i). उ0नि0 श्री जनार्दन प्रताप सिंह थाना बहिलपुरवा तथा उनके हमराही द्वारा अभियुक्त संतोष कुमार पुत्र स्व0 रामआसरे निवासी ददरीमाफी थाना बहिलपुरवा जनपद चित्रकूट को 20 लीटर कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया गया।

(ii). उ0नि0 श्री रमजानी खान थाना मारकुण्डी तथा उनके हमराही द्वारा अभियुक्त योगी पुत्र मूलचन्द्र निवासी ऊंची धूबहरा मजरा माराचन्द्रा थाना बहिलपुरवा जनपद चित्रकूट 20 लीटर कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया गया।

(2). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में लोकसभा चुनाव-2024 के दृष्टिगत अपराध एवं अपराधियों की रोकथाम हेतु अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में भोली-भाली जनता में भय आतंक फैलाकर गुण्डा गर्दी करने वाले 01 अभियुक्त के विरुद्ध गुण्डा तथा 02 अभियुक्तों के विरुद्ध मिनी गुण्डा की कार्यवाही की गयी।

(i). प्रभारी निरीक्षक पहाड़ी श्री श्याम प्रताप पटेल द्वारा अभियुक्त चुन्नू विश्वकर्मा पुत्र रामपूजन विश्वकर्मा निवासी चौरा थाना पहाड़ी जनपद चित्रकूट के विरुद्ध धारा 03 यूपी0 गुण्डा एक्ट की कार्यवाही की गयी।

(ii). प्रभारी निरीक्षक मानिकपुर श्रीमती रीता सिंह द्वारा अभियुक्त 1. लवकुश कोल पुत्र भइयालाल निवासी हरदिया कला मजरा कोटा कंदैला 2. रिंकू पुत्र कल्लू कोल निवासी रम्पुरिया थाना मानिकपुर जनपद चित्रकूट के विरुद्ध धारा 110जी सीआरपीसी क कार्यवाही की गयी।

(3). दिनाँक 07/08.05.2024 की रात्रि में पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा बैसाख मास अमावस्या के अवसर पर सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत रामघाट, निर्मोही अखाड़, पर्यटक चौराहा, परिक्रमा क्षेत्र का भ्रमण कर डियूटी पर तैनात पुलिस बल को सतर्कता पूर्वक डियूटी करने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये। इस द्वारा सभी से कहा गया कि मेले में आने वाले दर्शनार्थियों से विनम्र व्यवहार रहें।

(4). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में पीआरपी PRV-2047 की पुलिस टीम द्वारा आत्महत्या करने जा रही महिला को बचाया।

उल्लेखनीय है कि एक कॉलर द्वारा डायल 112 पर सूचना दी कि मेरा मेरी पत्नी से विवाद हो गया है, इस पर मेरी पत्नी रेलवे ट्रैक की तरफ आत्महत्या करने जा रही है मेरे रोकने से रुकी नहीं। इस यह इवेंट PRV2047 को प्राप्त हुआ तो पीआरवी की टीम द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर महिला महिला को रेलवे ट्रक की ओर जाने से रोक तथा समझाया बुझाया गया तथा पति-पत्नी के आपसी विवाद को शांत कराया गया।

<u>पीआरवी टीमः-</u>

1.मुख्य आरक्षी अमीरुद्दीन

2.आरक्षी जमुना प्रसाद गुप्ता

3. आरक्षी चालक गुलाम मोहम्मद नूरानी

(5). आज दिनाँक 08.05.2024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री चक्रपाणि त्रिपाठी के पर्यवेक्षण में प्रभारी एलआईयू निरीक्षक श्री सूर्यकान्त अरुण राय के मार्गदर्शन में डॉग

स्क्वॉयड व एलआईयू चित्रकूट की संयुक्त टीम द्वारा वैशाख मास अमावस्या मेला के अवसर पर सुरक्षा सतर्कता के दृष्टिगत रामघाट, परिक्रमा मार्ग आदि स्थानों पर सघन चेकिंग की गई।

(6). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थानाध्यक्ष रैपुरा श्री शैलेन्द्र चन्द्र पाण्डेय के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री दिनेश कुमार पाण्डेय तथा उनके हमराही द्वारा मु0नं0 2052/2020 धारा 11 पशु क्रूरता अधिनियम के वारण्टी अभियुक्त चुनकावन उर्फ शिवप्रसाद पुत्र रामसजीवन व सत्यनारायण उर्फ गुलकू पुत्र प्रीमत आरख निवासी अतरौली थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तरी करने वाली टीमः-

1.उ0नि0 श्री दिनेश कुमार पाण्डेय थाना रैपुरा
2.पीआडी हरिकृष्ण

(7). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में अपराध पर अंकुश लगाने हेतु अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री चक्रपाणि त्रिपाठी एवं क्षेत्राधिकारी मऊ श्री जयकरन सिंह के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक बरगढ़ श्री राकेश मौर्य के मार्गदर्शन में थाना बरगढ़ पुलिस टीम द्वारा पुलिस टीम पर फायर करने वाले अभियुक्त को घटना में प्रयुक्त अवैध तमंचा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः-

बालम उर्फ देवेशपति द्विवेदी पुत्र अवधेश चन्द्र द्विवेदी निवासी ग्राम डेराबारी थाना लालापुर जनपद प्रयागराज हाल पता वार्ड नं0-10 राजा कोठी थाना शंकरगढ जनपद प्रयागराज

गिरफ्तार अभियुक्त बालम उर्फ देवेशपति का आपराधिक इतिहासः-

1.मु0अ0स0 25/2024 धारा 406,411,467,468,471,504,506,120बी भादवि थाना बरगढ़
2.मु0अ0स0 86/2024 धारा 406,411 भादवि थाना मऊ
3.मु0अ0स0 87/2024 धारा 406,411 भादवि थाना मऊ
4.मु0अ0सं0 26/2024 धारा 307 भादवि व 03/25 आर्म्स एक्ट (पुलिस मुठभेड़) थाना बरगढ़
5.मु0अ0सं0 63/2024 धारा 406 भादवि थाना शंकरगढ़ प्रयागराज

बरामदगीः-

01 अदद तमंचा व 01 अदद कारतूस 315 बोर(घटना में प्रयुक्त)

गिरफ्तारी का स्थान व समयः-

हरदी कला जाने वाले मोड़ थाना बरगढ़ जनपद चित्रकूट ,दिनाँक 08.05.2024 की सुबह समय 08.45 बजे

सक्षिप्त विवरणः-

उल्लेखनीय है कि दिनाँक 19.03.2024 को वादी श्री हिमांशु सिंह पुत्र राजकुमार निवासी सेमरा थाना बरगढ़ जनपद चित्रकूट द्वारा थाना बरगढ़ में सूचना दी थी कि कमल सिंह पुत्र चन्द्रपाल सिंह निवासी गाढ़ा कटरा थाना शंकरगढ़ प्रयागराज व बालम उर्फ देवेशपति द्विवेदी पुत्र अवधेश चन्द्र द्विवेदी निवासी डेराबारी थाना शंकरगढ़ जनपद प्रयागराज हाल पता वार्ड नं-10 राजा कोठी थाना शंकरगढ़ जनपद प्रयागराज द्वारा मेरे ट्रक्टर रजि0 नं0 यूपी0 70 सीजे 3616 मैसी व ट्राली 11 माह के एग्रीमेंट पर प्रतिमाह 24 हजार रुपये किराये पर ले गये थे किन्तु माह पूरा होने पर किराया नहीं दिया एवं मेरा ट्रक्टर कहीं हटा दिया है। इस सूचना पर थाना बरगढ़ में मु0अ0स0 25/2024 धारा 406 भादवि0 बनाम कमल सिंह व बालम उर्फ देवेशपति द्विवेदी उपरोक्त पजीकृत किया गया था।

प्रभारी निरीक्षक बरगढ़ एवं उनकी टीम द्वारा अभियुक्तों की गिरफ्तारी एवं ट्रैक्टर की बरामदगी हेतु लगातार प्रयास किये जा रहे थे कि दिनाँक 22.03.2024 को मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त कमल सिंह उपरोक्त को गिरफ्तार किया गया था तथा अभियुक्त बालम उर्फ देवेशपति द्विवेदी उपरोक्त पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायर कर मौके से भाग गया था,

मौके से 06 अदद ट्रैक्टर व 01 कम्प्रेशर मशीन बरामद किये गये थे, जिन्हें अभियुक्तगण द्वारा लोगों को विश्वास में लेकर किराये का लालच देकर लिये गये थे।

पुलिस पर जान से मारने की नियत से फायर करने के सम्बन्ध में थाना बरगढ़ में मु0अ0सं0 26/2024 धारा 307 भादवि0 बनाम बालम उर्फ देवेशपति द्विवेदी उपरोक्त पंजीकृत किया गया था तथा ट्रैक्टर बरामदगी के आधार पर मु0अ0सं0 25/2024 में धारा 467,468,471,504,506,120B भादवि0 की बढ़ोत्तरी की गयी थी। इन दोनों अभियुक्तों द्वारा थाना मऊ क्षेत्र से लोगों के बेवकूफ बनाकर किराये पर लाये ट्रैक्टरों के सम्बन्ध में थाना मऊ में 02 अभियोग पंजीकृत है। घटना के बाद से अभियुक्त बालम उर्फ देवेशपति द्विवेदी लगातार फरार था जिसे आज दिनाँक 08.05.2024 को समय लगभग सुबह 08.45 बजे उ0नि0 श्री राधेश्याम सिंह तथा उनके हमराही द्वारा मुखबिर की सूचना पर हरदी कलां जाने वाले मोड से पुलिस टीम पर फायर करने वाले तमंचा 315 बोर व 01 अदद कारतूस 315 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से घटना में प्रयुक्त तमंचा व कारतूस बरामदगी के आधार पर मु0अ0सं0 26/2024 में धारा 03/25 आर्म्स एक्ट की बढ़ोत्तरी की गयी।

<u>गिरफ्तार करने वाली टीमः-</u>

1.उ0नि0 श्री राधेश्याम सिंह थाना बरगढ़

2.मुख्य आरक्षी रमेशचन्द्र

(8). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री उपेन्द्र कुमार सिंह के मार्गदर्शन में कोतवाली कर्वी पुलिस द्वारा दुष्कर्म एवं विधि विरुद्ध धर्मपरिवर्तन के 02 आरोपी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है दिनांक 06.05.2024 को थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट में पीड़िता द्वारा प्रार्थना-पत्र दिया गया कि अब्दुल उर्फ आरू रहमान, इरफान उर्फ छोटू पुत्रगण हबीब निवासीगण चौगालिया तरौंहा थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट द्वारा उसके साथ अलग-अलग स्थान पर बलात्कार किया गया है तथा कहीं बताए जाने पर जान से मारने की धमकी दी गई। रुखसार पत्नी रहमान खान द्वारा धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित किया गया। इस सूचना पर कोतवाली कर्वी में मु0अ0सं0 312/2024 धारा 376,506 आईपीसी व 3/5(1) उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 2021 बनाम अब्दुल रहमान, इरफान उर्फ छोटू पुत्रगण हबीब व रुखसार पत्नी रहमान खान निवासीगण चौगलिया तरौंहा थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट पंजीकृत किया गया। निरीक्षक अपराध श्री लाखन सिंह को मुकदमें की विवेचना एवं अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु निर्देशित किया गया।

आज दिनाँक 08.05.2024 को निरीक्षक अपराध श्री लाखन सिंह तथा उनके हमराही द्वारा मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त अब्दुल रहमान उर्फ आरू व इरफान उर्फ छोटू को गिरफ्तार किया गया। विवेचना के क्रम में पीड़िता के बयानों के एवं घटनाक्रम के समय पीड़िता की उम्र के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा ¾ पॉक्सो एक्ट की बढ़ोत्तरी की गयी।

<u>गिरफ्तारी करने वाली टीमः-</u>

1.निरीक्षक अपराध श्री लाखन सिंह थाना कोतवाली कर्वी

2.आरक्षी पवन राजपूत

(9). पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश महोदय द्वारा चलाये जा रहे #OperationConviction के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट जनपद चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री उपेन्द्र प्रताप सिंह एवं पैरोकार आरक्षी प्रशांत कुमार तथा मॉनिटरिंग सेल प्रभारी श्री विनोद कुमार शुक्ला द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं अभियोजन अधिकारी श्री बृजमोहन द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट चित्रकूट श्री सूर्यकान्त धर दुबे द्वारा थाना कर्वी में मु0अ0सं0 1765/2011 धारा 325,504,506 आर्म्स एक्ट के आरोपी अभियुक्त बालकेश पुत्र भईयालाल कुर्मी निवासी भरतपुरी कस्बा व थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को 01 माह का साधारण कारावास से दण्डित किया गया।

(10). नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला सशक्तिकरण, महिला कल्याण एवं बाल विकास के प्रति चलाये जा रहे “मिशन शक्ति अभियान-4” के तत्वाधान में जनपद के समस्त थानों की एण्टी रोमियों टीमों/‘‘शक्ति दीदी’’ द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थल एवं ग्रामों में भ्रमण कर महिला एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी उपायों के प्रति जागरुक किया गया।

“मिशन शक्ति अभियान-4” व ‘‘शक्ति दीदी’’ अभियान के तहत आज दिनांक 08.05.2024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद में नोडल अधिकारी मिशन शक्ति क्षेत्राधिकारी राजापुर श्रीमती निष्ठा उपाध्याय के पर्यवेक्षण में समस्त थाना क्षेत्रो में एण्टी रोमियों टीमों द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थलों एवं ग्रामो में भ्रमण किया गया । महिलाओं/बालिकाओँ को “मिशन शक्ति” व ‘‘शक्ति दीदी’’ के सार्वजनिक स्थलो जैसे-चौराहे, बाजारों को असामाजिक तत्वों से मुक्त कराये जाने तथा महिलाओ एवं बालिकाओं के साथ राह चलते छेडखानी, अभद्रता, अश्लील प्रदर्शन तथा अभद्र टिप्पणियाँ इत्यादि की घटनाओं को रोकने के लिये जागरुक किया गया तथा महिला/बालिकाओं को सुरक्षा संबंधित सेवाएँ जैसे यू0पी0-112 नम्बर/वूमेन पावर लाइन 1090/यूपी कॉप एप/181 महिला हेल्प लाइन/1076 मुख्यमंत्री हेल्प लाइन/1098 चाइल्ड हेल्प लाइन/102 स्वास्थ्य सेवा/108 एम्बूलेन्स सेवा/1930 साइबर हेल्पलाइन के बारे में जानकारियां दी गई । इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हैल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है । इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओ को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया । इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित “एंटी रोमियो स्क्वायड” टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों यथा- स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चैकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदो/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की जाती है।